BACK

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता

वीगल मुंडा, वल्द-सोमा मुंडा वहिस्सा बराबर, जाति-उराँव, निवासी-शाकीन देह कोकर मोताबिक मो नं 13 सन् 1935-36 ई0 हसबदफा 85 माल मोकर्रर हुआ 6.10 .0 छेः रुपिया दश आना संवत् 1993 साल से अमल में आवेगा ता. 21.9.32

जिला का नाम	राँची	अचंल का नाम	शहर	हलका का नाम	हल्का-02	मौजा का नाम	लालपुर
खेवट नम्वर	2	खाता नम्वर	39	थाना का नाम	राँची	थाना नम्वर	197

खाता नम्वर	खेसरा नम्वर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
(1)	(2)	(3)	किंयारी संख्या (5)			(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)
39	30	?. टांड फगुवा मुंडा ?. दोन शुकरा लाल मुंडा वैगरह	दोन दो 10	0 एकड़	71 डिसमील			0	0	0	कायमी
	130	?. दोन ?. दोन पोढा उरांव वैगरह	दोन दो 6	0 एकड़	72 डिसमील						कायमी
	170	?. दोन लोचन पाहान वैगरह ?. उमेश पोल	दोन दो 7	0 एकड़	83 डिसमील						कायमी

खाता मे कुल प्लोट संख्या	3	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)	2	26	खाता का कुल लगान	0 0 0

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है 6/9/2017

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है|

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें |

माननीय श्री हेलनीस मिंज विशेष विनियमन पदा० रांची। आदेश - पत्रक ① ⓘ

[... अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129]

सुरेश मुण्डा
बनाम
पुनम गुप्ता वगै०

रांची सं० 309 / सन 2007-08

धारा 71 (A)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित
2/11/07	आवेदक सुरेश मुण्डा पिता स्व० बाबा मुण्डा निवासी ग्राम लालपुर थाना लालपुर जिला रांची से छो० ना० अधिनियम की धारा - 71 (A) के अन्तर्गत भूमि वापसी हेतु आवेदन पत्र दायर किया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को निम्नांकित विपक्षीगण ने छल - प्रपंच एवं गलत ढंग से हासिल कर लिया है।	
	अमीन का विवरण।	
क्र०	विपक्षी का नाम — मौजा — खाता — प्लौट — रकबा	
1.	पुनम गुप्ता पति विरेन्द्र नाथ गुप्ता ग्राम लालपुर — लालपुर — 39 — 170 197 — 02 2/6	
	— 39 — 170 — 02 1/3 2/6	
2.	मंजू देवी पति उदय प्रकाश — लालपुर — 39 — 197 — 1 1/3 2/6	
3.	पुनम आनन्द पति आलोक नाथ — " — " — " — 3 2/6	

Certified and Photocopy compared by me

(2)

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
मनोज कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर लाo नo- 2

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

आवेदक ने शपथ-पत्र एवं
खतियान की छायाप्रति दाखिल
किया है।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र
सुनवाई हेतु स्वीकृत किया जाता
है और विपक्षी को अपने पक्ष
के समर्थन में कारण-पृच्छा हेतु
नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ।।।।० को रखें।

1223 / 23/11/07

2.11.07

विशेष विनियम पदाधिकारी
राँची।

12/12/07 आवेदक की ओर से उपस्थिति दी गई।
विपक्षी अनुपस्थित।
दिनांक 10/1/08 को।

Certified and Photocopy
compared by me

2 3

10/1/08	उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। आवेदक की गवाही हेतु दिनांक 17/1/08 को रखें। 10/1
17/1/08	विपक्षी की ओर से उपस्थिति दी गई। आवेदक अनुपस्थित। आवेदक की गवाही हेतु दिनांक 7/2/08 को रखें। 17-1-08
7/2/08	विपक्षी की ओर से उपस्थिति दी गई। दिनांक 15/2/08 को। 7/2
15/2/08	उभय पक्ष की ओर से उपस्थिति दी गई। आवेदक की गवाही हुई। विपक्षी की गवाही हेतु

Rs.5 FIVE RUPEES

Rs.5 FIVE RUPEES

Certified and Photocopy compared by me

(4)

5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

18.2.08	अभि. प्रस्तुत। उभय पक्ष द्वारा अनुपस्थित नहीं। बिना नाजिर के साथ उपस्थित पत्रावली गवाही हेतु 20/2/08 को पेश हो। 18/2
20.2.08	अभि. प्रस्तुत। उभय पक्ष द्वारा अनुपस्थित नहीं। पत्रावली दिनांक 26/2/08 को गवाही हेतु पेश हो। 20/2
26/2/08	उभय पक्ष अनुपस्थित। 1.3.08 को पत्रावली गवाही हेतु। 26/2
1/3/08	उभय पक्ष की ओर से वकालतनामा हाजरी की नहीं। पत्रावली को गवाही के अन्तिम अवसर दिनांक

Certified and Photocopy compared by me

B 5

8/3/08	आवेदक की ओर से उपस्थिति दी गई। विपक्षी अनुपस्थित। दिनांक 15/3/08 को पेशी। 8-3-08
15/3/08	उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई। आवेदक की गवाही हुई। विपक्षी की गवाही हेतु दिनांक 2.4.08 को पेशी। 15/3
2/4/08	उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई एवं विपक्षी के द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से गवाह उपस्थित किया गया। विपक्षी की गवाही हुई। अगली गवाही हेतु दिनांक 10/4/08 को पेशी। 2/4/08

Certified and Photocopy compared by me

16/4/08 विपक्षी के द्वारा उपस्थिति दी गई।
आवेदक गवाह हेतु-
21/4/08 को पेश हो।
21/4/08

21/4/08 उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई।
निष्पादित गवाह
हेतु- दिनांक 8/5/08
को पेश हो।
21-4-08

8/5/08 आवेदक गवाह के साथ उपस्थित एवं विपक्षी
के द्वारा वकालतनामा हाजरी दी गई पीठा०
अधि० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 13/5/08
को पेश।

लि० पक्ष०
13/5/08 उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई।
दिनांक 13/5/08 को

13/5/08

Certified and Photocopy
compared by me

(4) (7)

4.6.08 | अभिलेख प्रस्तुत। उभय पक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी की गवाही हेतु दिनांक 13/6/08 को रखें।

4/6

13/6/08 | उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी दिनांक 18/6/08 को गवाही दें।

13/6/08

18/6/08 | उभय पक्ष के द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी को गवाही का कई अवसर दिये जाने के बावजूद गवाही नहीं दी जा रही है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध कागजों के आधार पर वाद में विपक्षी को अधिवक्ता उपस्थित हो गवाही हेतु

18/6/08

Certified and Photocopy compared by me
Compare Clerk
S.A.R. Office, Ranchi

20/6/08	विपक्षी के द्वारा आपत्ति दी गई। आ. देव्ह उपस्थित। दिनांक ~~2X/6/08~~ 23/6/08 को पेश हेतु। [signature] 20/6	
23/6/08	आवेदक के द्वारा वकालतनामा हाजरी दी गई एवं विपक्षी के द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया। आ. देउ- [signature] [signature] 23/6	

Certified and Photocopy
compared by me
[signature]
Compose Clerk

4 (9)

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम सं० एवं दि०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, डी० किड़ो, विशेष विनियमन पदा0, रॉंची ।

एस०ए०आर०वाद सं० 309/07-08

सुरेश मुण्डा बनाम् पूनम गुप्ता वगैरह

आदेश

14/7/08

भू- वापसी का यह वाद आवेदक सुरेश मुण्डा, पिता स्व0 बाहा मुण्डा निवासी- ग्राम- लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-रॉंची के आवेदन- पत्र पर संधारित किया गया है । अपने आवेदन- पत्र में आवेदक की ओर से कहा गया है कि मौजा- लालपुर, थाना नं० 197 खाता नं० 29, प्लॉट नं० 170 रकबा $9\frac{1}{2}$ कट्ठा उनकी खतियानी जमीन है । अपने दावे की पुष्टि में आवेदक ने खतियान की प्रति दाखिल की है । जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन विगल मुण्डा वल्द सोमा मुण्डा के नाम कायम है । वंशावली से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक इस जमीन को उत्तराधिकारी के आधार पर धारित करने वाले जायज वंशज है ।

स्व0 सोमा मुण्डा
/
स्व0 विगल मुण्डा
/
स्व0 बाहा मुण्डा
/
सुरेश मुण्डा (आवेदक)

आवेदक की ओर से अपने आवेदन- पत्र में यह भी

Certified and Photocopy compared b...

उल्लेख किया गया है कि उनकी खतियानी जमीन को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित कई लोगों ने छल- प्रपंच से हड़प लिया है ।

विवरणी

	मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा
1- पुनम गुप्ता पति-विरेन्द्रनाथ गुप्ता	लालपुर	39	170	02 कट्ठा
2- मंजु देवी पति-उदय प्रकाश	लालपुर	39	170	2 1/2-कट्ठा
3- झुमा जाना पति-सतीनाथ जाना	लालपुर	39	170	1 1/2-कट्ठा
4- डॉली पालीत पति-अशोक कुण्पालीत	लालपुर	39	170	3 1/2-कट्ठा

इसी आधार पर इन्हें वाद का प्रतिवादी बनाते हुए कारण-पृच्छा की मांग कीगई । विपक्षियों की ओर से कहा गया है कि प्रश्नगत जमीन को उनके पूर्वजों ने वर्ष1951 में वर्तमान आवेदक के पूर्वज से सादा विक्री पट्टा द्वारा हासिल की गई है । जमीन हासिल करने के बाद वे जमीन पर आवासीय संरचना का निर्माण कर सपरिवार रहने लगे । कालान्तर में विपक्षियों ने समय-समय पर घर का मरम्मती कर अभी उसी मकान में परिवार के साथ निवास करते आ रहे हैं । विपक्षियों ने तर्क दिया है कि चूँकि इस जमीन का आवासीय संरचना प्रयोजन के रूप में प्रयोग हो रहा है । अतः इसकी प्रकृति भी बदलकर छप्परबन्दी हो गई है । इस प्रकार यह कालबाधित होने एवं छप्परबन्दी प्रकृति की होने के कारण छोटानागपुर

Certified and Photocopy compared by me

आताहै ।

अपनी गवाही में आवेदक की ओर से कहा गया है कि विपक्षियों का जमीन पर 30-35 वर्ष पूर्व घर- मकान बना है । खेती नहीं होती है । आवेदक सुरेश मुण्डा का पुत्र रवि मुण्डा ने भी अपनी गवाही में कहा है कि जमीन पर विपक्षियों का मकान बना हुआ है । जमीन पर खेती नहीं होती है । इनकी ओर से विपक्षियों के मकान की कीमत दो से तीन लाख के बीच होने की बातें कही गई है ।

विपक्षियों के कारण-पृच्छा एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि आवेदक ने अपनी गवाही में की है । यदि इन तथ्यों को वाद का निर्णायक बिन्दु के रूप में देखा जाय तो यह वाद समय के बिन्दु पर काल-बाधित प्रतीत होता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील नं· 2414-15 ऑफ 1999 सिद्दु साहू बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड में कहा है कि आदिवासी की जमीन की वापसी 30 वर्षों के अन्दर ही किया जा सकता है । इस प्रकार यह वाद कालबाधित की अवधारणा के आधार पर खारिज के योग्य प्रतीत होता है किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील नं· 955/91 पाण्डेय उराँव बनाम रामचन्द्र साहू में पारित आदेश के धारा 6 ए· में स्पष्ट कहा है कि छो0 काश्तकारी अधिनियम आदिवासी की जमीन की वापसी हेतु को रक्षार्थ एक सबल आवलम्ब है । यह भी उल्लेख है कि धारा 71 {ए} भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने के कारण [illegible] के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Certified and Photocopy compared by me

यह एक Beneficial और Protective legislation है । अत: महज कालबाधित के तर्क पर वादको खारिज करना न्यायोचित नहीहै । यद्यपि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षियों का घर- मकान विगत कई वर्षों से होने की पुष्टि स्वयं आवेदक ने अपनीगवाही में कीहै । इसे देखते हुए इस वाद को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71(ए)के द्वितीय परन्तुक के तहत विचार किया जाना न्याय- हित में उचित प्रतीत होताहै । अत: विपक्षियों को इसका लाभ देते हुए आदेश दिया जाता है कि वे आवेदक को उसी क्षेत्र में समतुल्य मूल्यकी जमीन उपलब्ध करावें या प्रति कट्ठा 90,000/-(नब्बे हजार रूपया) की दर से मुआवजा की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर कर दें । अन्यथा जमीन आवेदक को स्वत: वापस हो जाएगी ।

14.7.08

विशेष विनियमन पदा०,
राँची ।

Certified and Photocopy compared by me
Compare Clerk
S.A.R. Office; Ranchi

अनुसूची 14 फारम नं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
14.8.08	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष द्वारा उपस्थिति की गई। आवेदक सुरेश मुण्डा पिता स्व० बाहा मुण्डा निवासी ग्राम लापुंग थाना लापुंग जिला रांची के द्वारा एक "कर्ला-पत्र" दाखिल कर बताया गया कि मौजा लापुंग थाना नं. 197 के खाता नं. 29 प्लॉट नं. 170 रकबा अन्तर्गत खाता नं. 29 [illegible] भूमि की 9 1/2 डी० [illegible] अपनी स्वतिमानी [illegible] बताते हुए क्षतिपूर्ति राशि लेने के हकदार हैं साथ ही उनका यह दावा है कि भविष्य में इस वाद को लेकर कोई विवाद हो तो आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदक के इसी शर्त पर उनका "कर्ला-पत्र" स्वीकार किया गया। दिनांक 14.7.08 इस वाद में [illegible] पारित की [illegible] को आदेश [illegible] भू० अर्जन अधि० की धारा 11(A) के [illegible] 90,880/- (नब्बे हजार आठ सौ अस्सी) [illegible] क्षतिपूर्ति राशि [illegible]	[illegible] 14/8/08 आदेश पर उक्त [illegible] मुआवजा [illegible] 145801, 144955, 144959, [illegible] 4,20,000+ 801566 [illegible] न्यायालय के [illegible] सुरेश मुण्डा [illegible]

Certified and Photocopy compared by me

अनुसूची 14 फारम नं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	उसी आदेश के अनुपालन में विवरणी द्वारा !	
	क्र. विवरणी का नाम — बैंक ड्राफ्ट सं० / तिथि — क्षतिपूर्ति राशि — आवेदक का नाम	
	1. पूनम गुप्ता w/o विरेन्द्र नाथ गुप्ता — 801566 / 12-8-08 रेखांकित इलाहाबाद बैं. रांची — 80,000/- (अस्सी हजार रु. मात्र) A/c payee	सुरेश मुण्डा
2	कुमा खाना पति सलीमाय खाना — 144955 / 12-8-08 रेखांकित Central Bank Ranchi — 75,000/- seventy five thousand only A/c payee	सुरेश मुण्डा
3	मंजु देवी w/o उपेन्द्र प्रकाश — 800801 / 12-8-08 रेखांकित विजया बैं. रांची — 1,30,000/- एक लाख तीस हजार रु. मात्र A/c payee	वही
	4. डॉली पावीत w/o अशोक कुमार पावीत — 144959 / 12-8-08 रेखांकित सेंट्रल बैं. रांची — 1,60,000/- एक लाख साठ हजार रु. मात्र	सुरेश मुण्डा
	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता / श्री संतोष कुमार के उपस्थित रहने पर ...	

Certified and Photocopy compared by me

(8) (15)

अनुसूची 14 फारम नं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया।	
	लेखापित एवं संशोधित — ह० 4/8/08 वि० पदा० रांची	
	ह० 4/8 विशेष वि० पदा० रांची	
29.9.08	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई। इस वाद में दिनांक 14.7.08 को आदेश पारित कर [illegible] को मौजा [illegible] खाता नं० [illegible] क्षेत्र 37 डि० की भूमि के अर्जन में 90,000/- (नब्बे हजार) रु० प्रति एकड़ की दर से निर्धारित कर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया। उसी आदेश के अनुपालन में निम्न प्रकार बैंक ड्राफ्ट क्षतिपूर्ति आवेदक को दिया गया:-	

क्र०	नाम	बैंक ड्राफ्ट सं०/दि०	राशि	की राशि
1.	पूनम गुप्ता	007121 / 6-9.08	10,000/- दस हजार रु० मात्र A/c payee	सुरेश कुमार

Certified and Photocopy compared by me

(16)

अनुसूची 14 फारम नं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	ड्रैफ्ट 007123 / 6-9-08 45,000/- सुरेश कुमार पैनालिया ह्वाइट R.M.P A/C payee उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट रेलोविन ~~Central Bank Rarh का है~~ Bank of India Rarhi का है	
(2)	सुभाष जाना - 145269 / 5-9-08 60,000/- सुरेश कुमार साढे ह्वाइट R.M.P A/C payee रेलोविन Central Bank Rarh	
(3)	डाली पालीत - 145253 / 4-9-08 1,55,000/- एक लाख पचपन ह्वाइट R.M.P A/C payee रेलोविन Central Bank Rarh.	
(4)	मंजू देवी 800904 / 3-9-08 95,000/- पंचानबे ह्वाइट R.M.P रेलोविन विजया बैंक राँची आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी के अन्तिम बहस पर उपरोक्त रेलोविन बैंक ड्राफ्ट न्यायालय के समक्ष ... राशि का	

Certified and Photocopy compared by me

अनुसूची 14 फारम नं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
 	मुलाहिजा किया गया। लेखा चित्र एवं संशोधित [illegible] 29.09.09 [illegible] 29.09.09 [illegible] रांची [illegible] रांची	मेरे अभिज्ञ पहचान पर आवेदक सुरेश मुण्डा को इनके जमीन के एवज में खाता नं. 145-69, 007/23, 007/21, 007/22, 145253, 800984 की कुल राशि 4,10,000 (चार लाख दस हजार) रुपये [illegible] मेरे न्यायालय के माध्यम [illegible] सुरेश मुण्डा

Certified and Photocopy compared by me
Compare Clerk
S.A.R. Office; Ranchi

द -- न्यायालय,

श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदाधिकारी,, राँची।

एस० ए० आर० वाद संख्या ....302/07-08..................

धारा 71 (ए०) छो० का० अधिनियम 1908 के अंतर्गत

अनुसूची 14 फारम संख्या – 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर सुरेश मुण्डा बनाम पुनम गुप्ता	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22.6.09	अभिलेख उपस्थापित किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा भूमि विनियमित करने हेतु अनुरोध-पत्र दाखिल किया है । इस वाद में दिनांक 14.7.09 को आदेश पारित कर छो०का०अधि०की धारा 71(ए) के II परन्तुक के तहत् 90,000/-(नब्बे हजार रुपैया)प्रति कट्ठा की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया गया है । उक्त विपक्षी द्वारा रकबा- 2 कट्ठा भूमि का पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि कुल 1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार) रुपैया) आवेदक- सुरेश मुण्डा, पिता-स्व0बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार के उचित पहचान पर न्यायालय में भुगतान कर चुके है। यह राशि आवेदक के बचत खाता सं.- 0457/SB/01/007830 Corporation Bank. में जमा किया गया है जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को पूर्ण भुगतान विपक्षी द्वारा किया जा चुका है । अत: विपक्षी- पुनम गुप्ता, पति-वीरेन्द्र नाथ गुप्ता, निवासी-लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची अन्तर्गत	

Certified and Photocopy compared by me

मौजा-लालपुर, थाना नं• 197, खाता नं• 39, प्लॉटनं• 170 रकवा- 2 कट्ठा भूमि विपक्षी- पुनम गुप्ता के नाम से विनियमित किया जाता है ।

22.06.09
विशेष विनियमन पदा0,
रांची ।

लेखापित एवं संशोधित

22.06.09

विशेष विनियमन पदा0,
रांची ।

Certified and Photocopy compared by me

Compare Clerk
S.A.R. Office; Ranchi

d – न्यायालय,

श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदाधिकारी,, राँची।

एस० ए० आर० वाद संख्या .....309/07-08...................

धारा 71 (ए०) छो० का० अधिनियम 1908 के अंतर्गत

अनुसूची 14 फारम संख्या – 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर सुरेश मुण्डा बनाम् मंजू देवी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22.6.09	अभिलेख उपस्थापित किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा भूमि विनियमित करने हेतु अनुरोध-पत्र दाखिल किया है। इस वाद में दिनांक 14•7•08 को आदेश पारित कर छो०का०अधि०की धारा 71(ए) के II परन्तुक के तहत् 90,000/-(नब्बे हजार रूपया)प्रति कट्ठा की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। उक्त विपक्षी द्वारा रकबा-2½-कट्ठा भूमि का पूर्ण क्षति-पूर्ति राशि कुल 2,25,000/-(दो लाख पच्चीस हजार रू०) आवेदक-सुरेश मुण्डा, पिता-स्व०बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार के उचित पहचान पर न्यायालय में भुगतान कर चुके है। यह राशि आवेदक के बचत खाता सं०-0457/SB/01/007830 Corporation Bank में जमा किया गया है, जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का पूर्ण भुगतान विपक्षी द्वारा किया जा चुका है।	

अतः विपक्षी मंजू देवी, पति-उदय प्रकाश, ग्राम-लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची अन्तर्गत मौजा-लालपुर,

Certified and Photocopy compared by me

..../2

:-2-:

थाना नं॰ 197 खाता नं॰ 39, प्लॉट नं॰-170 रकबा- $2\frac{1}{2}$-कट्ठा भूमि को विपक्षी मंजू देवी के नाम से विनियमित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

22.06.09

विशेष विनियमन पदा०,
रांची।

22.06.09

विशेष वि०पदा०,
रांची।

Certified and Photocopy compared by me
Compare Clerk
S.A.R. Office; Ranchi

(22)

(12)

– न्यायालय,

श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदाधिकारी,, राँची।

एस० ए० आर० वाद संख्या 309/07-08

धारा 71 (ए०) छो० का० अधिनियम 1908 के अंतर्गत

अनुसूची 14 फारम संख्या – 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर सुरेश मुण्डा बनाम् डौली पालित (पंडित)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22.6.09	अभिलेख उपस्थापित किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा भूमि विनियमित करने हेतु अनुरोध-पत्र दाखिल किया है। इस वाद में दिनांक:14.7.08 को आदेश पारित कर छो०का०अधि०की धारा 71(ए) के II परन्तुक के तहत 90,000/-(नब्बे हजार रुपैया) मात्र प्रति कट्ठा की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। उक्त विपक्षी द्वारा रकबा-3½-कट्ठा भूमि का पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि कुल 3,15,000/-(तीन लाख पन्द्रह हजार रु०) आवेदक- सुरेश मुण्डा, पिता-स्व०बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार के उचित पहचान पर न्यायालय में भुगतान कर चुके है। यह राशि आवेदक के बचत खाता सं0- 0457/SB/01/007830 Corporation Bank. में जमा किया गया है, जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का पूर्ण भुगतान विपक्षी द्वारा किया जा चुका है । अत: विपक्षी- डौली पालीत(पंडित) पिता-अशोक कुमार पालीत निवासी लालपुर, थाना-लालपुर, जिला-राँची	

Certified and Photocopy compared by me

..2

अन्तर्गत मौजा-लालपुर, थाना नं•-197, खाता नं•39, प्लॉट नं• 170 रकबा- $3\frac{1}{2}$-कट्ठा भूमि को विपक्षी- डौली पालीत के नाम से विनियमित किया जाता है ।

22.06.09

लेखापित एवं संशोधित

22.06.09

विशेष विनियमन पदा0,

राँची ।

विशेष विनियमन पदा0,

राँची ।

Certified and Photocopy
compared by me

Compare Clerk
S.A.R. Office; Ranchi

न्यायालय,श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदा0,रांची ।

एस·ए·आर·वाद सं· :- 309/07-08 (क्षतिपूर्ति राशि का विवरणी)

क्र0	आवेदक का नाम	विपक्षी का नाम	ग्राम	खाता नं·	प्लॉट नं·	रकबा	प्रतिकट्ठा की दर से	कुल राशि	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि	बैंक तिथि ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	सुरेश मुण्डा, पिता-स्व0बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, लालपुर, रांची	पुनम गुप्ता, पति-विरेन्द्र नाथ गुप्ता, लालपुर, रांची	लालपुर,	39	170, 197	2 कट्ठा	90,000/-	1,80,000/-	80,000/-		801566/12
									10,000/-		007121/6·
									45,000/-		007122/6·
									45,000/-		007123/6·

1,80,000/- (एक लाख अस्सी

सभी बैंक ड्राफ्ट रेखांकित बैंक अ

इंडिया, रांची का है ।

सी·ओ·एस·

22.06.09

विशेष विनियमन पदा0,

रांची ।

Certified and Photocopy compared by me

न्यायालय,श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदा0,राँची ।

एस·ए·आर·वाद सं· :-309/07-08 (क्षतिपूर्ति राशि का विवरणी)

क्र0	आवेदक का नाम	विपक्षी का नाम	ग्राम	खाता नं·	प्लाट नं·	रकबा	प्रतिकट्ठा की दर से	कुल राशि	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि	बैंक ... ति... ना...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	सुरेश मुण्डा, पिता-स्व0बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, थाना-लालपुर, राँची	मंजु देवी, पति-उदय प्रकाश, ग्राम-लालपुर, लालपुर, राँची	लालपुर, 197	39	170,	$2\frac{1}{2}$-कट्ठा	90,000/-	2,25,000/-	1,30,000/- 95,000/- 2,25,000/-(दो लाख हजार रू0)		80080[illegible] 80090[illegible]

सभी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट ... बैंक,राँची का है ।

सी·ओ·एस·
22.05.0[illegible]
विशेष विनियमन पदा0,
राँची ।

Certified and Photocopy compared by me

TEN RUPEES COURT FEE

(28)

न्यायालय,श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदा0,रांची ।

एस·ए·आर·वाद सं· :- 309/07-08 (क्षतिपूर्ति राशि का विवरणी)

क्र0	आवेदक का नाम	विपक्षी का नाम	ग्राम	खाता नं·	प्लाट नं·	रकवा	प्रतिकट्ठा की दर से	कुल राशि	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि	बैंक ति… ना…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	सुरेश मुण्डा, पिता-स्व0बाहा मुण्डा, ग्राम-लालपुर, लालपुर, रांची	डौली पॉल(पालित) पति-अशोक कु0पालित पता-लालपुर, लालपुर, रांची	लालपुर	39	170, 197	$3\frac{1}{2}$-कट्ठा	90,000/-	3,15,000/-	1,60,000/- 1,55,000/- 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हज…	144959/12·8·… 145253/4·9·0…	

सभी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सेन्ट्रल बैंक, …
का है ।

धी·ओ·एस·

22.06.09

विशेष विनियमन पदा0,
रांची ।

Certified and Photocopy compared by me

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 01AA 545754

In

The court of Shri D. Kiro, Special Officer, S.A.R.,

Ranchi.

S.A.R. Case No. 309 of 2007-08.

Suresh Munda ---- Petitioner.

Versus

Manju Devi and others. ---- Opp.Party.

B O N D.

I, Suresh Munda, son of Late Baha Munda, resident of Mohalla Lalpur, Thana Lalpur, District Ranchi, do hereby solemnly affirm and declare as follows :-

Certified and Photocopy compared by me

Compare Clerk

1. That I am the only legal heirs and successors of the recorded tenant of R.S. KHata No. 39, plot no. 170 situated

44 48 20

at village Lalpur, P.S. No. 197, P.S. Lalpur, District Ranchi.

2. That after receipt of the payment I or our successors who ~~will not be entitled to claim the~~ have signed this Bond by confirming witnesses will not be entitled to claim the land aforesaid in future.

3. That after receiving of the compensation amount neither myself nor any other successor will have no objection if the land will be transferred to the Opp. Party.

4. That after receiving the compensation the Opposite party will have all right, title, interest and possession over the land in question.

5. That I as a karta of the family am only entitled to get the compensation amount.

6. That I am not be responsible if the above opposite party will pay any amount regarding the above Khata plot to other person.

IN WITNESS WHREOF this bond is executed on this the 14th day of August, 2008 at Ranchi.

Witneses :-

1. [signature]

2. [signature]

[signature]

Executant.

Identified by.

COURT FEE 10 Rs. TEN RUPEES INDIA

Certified to be Photocopy Total 20 Page

Compare... Copy Clerk 1/9/17